

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082020-221283 CG-DL-E-21082020-221283

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942No. 413]NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2020

सं. 26/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 519(अ).—जहां कि कोरिया गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "फास्फोरिक एसिड के सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2809 20 10 के अंतर्गत आती है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 24 अगस्त, 2015, जिसे सा.का.नि. 652(अ), दिनांक 24 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/28/2019--डीजीटीआर, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों, जिसे की अधिसूचना संख्या 7/28/2019-डीजीटीआर, दिनांक 6 अगस्त, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि–

 (i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु की यहां भरमार होती जा रही है और यदि यह शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो बहुत कम कीमत पर इसका भारत के बाजार में आयात होने लगेगा;

- (ii) विषयगत देश से होने वाले फालतू आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है;
- (iii) रिकार्ड में मौजूद जानकारी से यह पता चलता है कि यदि इस स्तर पर लागू प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसा फालतू आयात जारी रहेगा और इस प्रकार की क्षति होती रहेगी;
- (iv) ऐसे पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं जो यह संकेत देते हैं कि यदि इस स्तर पर इस प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो इस प्रकार की भरमार होती रहेगी और घरेलू उद्योग को इस प्रकार की क्षति होती रहेगी,

और उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 24 अगस्त, 2015, जिसे सा.का.नि. 652 (अ), दिनांक 24 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जिसकी विशेषता कॉलम (4) में दी गई है जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्विष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	विशेषता	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	माप इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2809 20 10	फास्फोरिक एसिड	सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)		कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	137	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
2.	2809 20 10	फास्फोरिक एसिड	सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)		कोरिया गणराज्य	कोई भी	137	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन

	<u> </u>
सारग	गा
	•••

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

> [फा. सं. 354/108/2009–टीआरयू (पार्ट-।।)] गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2020

No. 26/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 519(E).—Whereas, the designated authority, vide notification No. 7/28/2019-DGTR, dated the 27th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer grade) (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2809 20 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Korea RP (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/2015-Customs (ADD), dated the 24th August, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 652(E), dated the 24th August, 2015;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published vide notification No. 7/28/2019-DGTR, dated the 6th August, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

- (i) there is continued dumping of the subject goods from subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty;
- (ii) the domestic industry has suffered continued injury on account of dumped imports from the subject country;
- (iii) the information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage;
- (iv) there is sufficient evidence to indicate that the revocation of anti-dumping duty at this stage will lead to continuation of dumping and injury to the Domestic Industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/2015-Customs (ADD), dated the 24th August, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 652(E), dated the 24th August, 2015, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, specification of which is specified in column (4), falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (5), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table, namely:-

S. No.	Tariff Item	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount	Currency	Unit of measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2809 20 10	Phosphoric Acid	All grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)	Korea RP	Any Country including Korea RP	Any	137	US Dollar	Metric Tonne
2.	2809 20 10	Phosphoric Acid	All grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)	Any Country other than Korea RP	Korea RP	Any	137	US Dollar	Metric Tonne

TABLE

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/108/2009-TRU (Pt. II)] GAURAV SINGH, Dy. Secy.